



कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड-834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 596

राँची : 15/07/25

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर।

विषय :- मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड द्वारा सरायकेला वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा-काण्ड्रा स्थित एकीकृत स्टील प्लाट के विस्तारीकरण हेतु 34.83 हे० (86.07 एकड़) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।
(प्रस्ताव संख्या- FP/JH/IND/116046/2020)

प्रसंग :- आपका कार्यालय पत्रांक 758 दिनांक 20.06.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा ऑनलाईन/हार्डकॉपी में प्रस्ताव इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की सम्यक् समीक्षोपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख अपलोड करने की आवश्यकता है :-

1. ऑनलाईन प्रस्ताव में DFO का Authenticated land schedule अपलोड नहीं किया गया है।
2. ऑनलाईन प्रस्तावित वनभूमि का एरिया 34.83 हे० है, जबकि विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में Uploaded KML में lease area- 34.60 हे० है, दोनों में भिन्नता है।
3. ऑनलाईन प्रस्ताव विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट 1 में सर्वे आफ इण्डिया का टोपोशीट के स्थान पर Vill Geo-Reference Map Uploaded किया गया है।
4. ऑनलाईन प्रस्ताव में Component wise breakup Uploaded नहीं किया गया है।
5. ऑनलाईन प्रस्ताव में Uploaded Cost Benefit analysis file नहीं खुल रहा किया गया है।
6. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित मौजा-सलम का पैच 5.00 हे० से कम है, जो स्वीकारिए नहीं है।
7. CO द्वारा समर्पित land schedule में प्रस्तावित कुछ भूमि खतियान में उपलब्ध नहीं है। साथ ही ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
8. प्रस्ताव में संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्गत FRA Certificate & GM JJ NOC ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
9. प्रस्ताव में प्रयोक्ता अभिकरण का Authorization letter in the name of applicant संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड नहीं किया गया है।
10. ऑनलाईन प्रस्ताव में फार्म A पार्ट 1 में Area culcutaion statement अपलोड नहीं किया गया है।
11. विहित प्रपत्र फार्म A पार्ट -II में अंकित उल्लघन मामले में 0.809 हे० वनभूमि का क्षेत्रफल शामिल है। लेकिन उक्त क्षेत्रफल सुरक्षित वनभूमि है अथवा जंगल-झाड़ी वनभूमि का किस्म है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
12. Project is non-site specific.

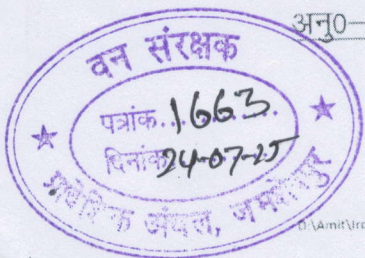
एतएव, प्रस्ताव की छः मूल प्रतियों में वापस करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में संशोधित प्रस्ताव समर्पित करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।



ज्ञापांक - 596

दिनांक - 15/7/25

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला / मेसर्स अमलगम स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, काण्डा चौका रोड, काण्डा, सरायकेला-खरसावाँ, जमशेदपुर-832402 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

ज्ञापांक : 1017

दिनांक : 01-08-2025

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रस्ताव की 07 (सात) मूल प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि वांछित संशोधित प्रस्ताव 08 (आठ) प्रतियों में यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
अनु0 : यथोक्त।

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर
28/7/25